



Neutral Citation No. - 2026:AHC:63024

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 6099/2026**

पंकज गुप्ता

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता

: भरत सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: जी.ए.

**न्यायालय संख्या- 69**

**माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा**

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री भरत सिंह और राज्य प्रतिवादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. मौर्य को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर किया गया है, जिसमें उसे मामला अपराध संख्या 137/2025 में, बीएनएस की धाराओं 318(4), 319(2), 338, 336(3), 340(2), 61(2) और आई.टी. अधिनियम की धारा 66-डी

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



के तहत, जो पुलिस स्टेशन साइबर अपराध, जिला गौतमबुद्ध नगर में परीक्षण के लंबित रहने के दौरान पंजीकृत है, जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक बेगुनाह है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसका नाम जांच के दौरान अर्जुन सिंह के कबूलनामे में सामने आया है और यह भी सामने आया है कि सह-आरोपी अर्जुन सिंह के बैंक अकाउंट में Rs.15 Lac जमा किए गए हैं। आगे यह भी कहा गया है कि तथाकथित क्यारा शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह आरोप लगाया गया है कि तथाकथित क्यारा शर्मा ने आवेदक से व्हाट्सएप समूह के माध्यम से संपर्क किया और इस प्रकार उसे सुंदरन एएमसी एंड इनफिनिट पॉसिबिलिटीज नामक कंपनी में निवेश करने के लिए इस्तेमाल किया। आवेदक, जो 06.12.2025 से जेल में बंद है, यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता दी जाती है, तो वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि अदालत में मामलों के भारी लंबित होने के मद्देनजर, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. प्रति विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत प्रार्थना का विरोध किया है।

5. आवेदक का नाम प्राथमिकी में नहीं है और उसका नाम जांच के दौरान अर्जुन सिंह के कबूलनामे में सामने आया है और यह पता चला है कि सह-आरोपी अर्जुन सिंह के बैंक अकाउंट में Rs.15 Lac जमा किए गए हैं। यह भी बताया गया है कि प्राथमिकी तथाकथित क्यारा शर्मा के खिलाफ दर्ज की गई है। आरोप है कि तथाकथित क्यारा शर्मा आवेदक से व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जुड़ी और इस तरह सुंदरन एएमसी एंड इनफिनिट पॉसिबिलिटीज नाम की कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। आवेदक, जो 06.12.2025 से जेल में बंद है।

*"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"*



6. सभी तथ्यों, प्रकृति और दस्तावेजों से मिले सबूतों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की मुख्य बातों पर कोई टिप्पणी किए बिना, मुझे यह जमानत के लिए सही मामला लगता है। इसलिए, यह जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

7. यदि आवेदक-पंकज गुप्ता, जो उपरोक्त मामले में शामिल है, को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत मुचलके और उतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, भय या वचन नहीं देगा, जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा।

(iii) आवेदक (i) मामले के प्रारंभ, (ii) आरोप विरचन और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने हेतु नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह परीक्षण न्यायालय में उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक तय तारीख को विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के ज़रिए मौजूद रहेगा।

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*



8. यदि उपरोक्त में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है, तो यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाएगा। निचली अदालत इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, पेश किए गए सबूतों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुंचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगी।

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा)

26 मार्च 2026

आरकेएम

*“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”*